



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223130
CG-DL-E-18112020-223130

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3601]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/ कार्तिक 22, 1942

No. 3601]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

का.आ. 4102(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 4206 तारीख 21.11.2019 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 21.11.2019 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH752-B के कि.मी. 38+700 से 42+050 कि.मी. तक - ब्यावरा से मकसूदनगढ़-रोड़ (मकसूदनगढ़ बाईपास) के लिए भूखण्ड के निर्माण, (चार लेन का बनाने /चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन "द हितवाद" में गुरुवार 26 दिसम्बर 2019, और "फ्री प्रेस" में गुरुवार 26 दिसम्बर 2019, में प्रकाशित किया गया था

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है

या

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के गुना जिले में राजमार्ग संख्या NH752-B के कि.मी. 38+700 से 42+050 कि.मी. तक ब्यावरा से मकसूदनगढ़-रोड़ (मकसूदनगढ़-बाईपास) के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: गुना		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मकसूदनगढ़				
	गांव का नाम: मकसूदनगढ़				
1	148/3/min-11	निजी	डाइवर्टेड	0.006	रामचंद्र पुत्र गंगाराम रतनसिंह पुत्र दौलत सिंह जाती सोंधिया (१४८/३/मिन - 11)
2	148/3/min-18	निजी	डाइवर्टेड	0.011	गीताबाई पत्नी कन्हैयालाल जाती साहू (१४८/३/मिन - 18)
3	148/3/min-2	निजी	डाइवर्टेड	0.005	नबूशाह पुत्र दौलतशाह जाती मुसलमान (१४८/३/मिन - 2)
4	148/3/min-22	निजी	सिंचित	0.007	प्रभादेवी पत्नी टीकाराम जाती साहू (१४८/३ मिन - 22)
5	148/3/min-23	निजी	डाइवर्टेड	0.005	हरिओम पुत्र तुलसीराम जाती साहू (१४८/३/मिन - 23)
6	148/3/min-24	निजी	डाइवर्टेड	0.002	चाँदसिंह पुत्र चन्दन सिंह जाती यादव (१४८/३/मिन - 24)
7	148/3/min-25	निजी	डाइवर्टेड	0.02	रामचंद्र पुत्र गंगाराम रतनसिंह पुत्र दौलत सिंह जाती सोंधिया

					(१४८/३/मिन - 25)
8	148/3/min-26	निजी	सिंचित	0.055	रामचंद्र पुत्र गंगाराम रतनसिंह पुत्र दौलत सिंह जाती सोंधिया (१४८/३/मिन - 26)
9	148/3/min-6	निजी	डाइवर्टेड	0.009	रतनसिंह पुत्र दौलत सिंह रामचंद्र पुत्र गंगाराम जाती सोंधिया (१४८/३/ मिन - 6)
10	148/3/min-8	निजी	सिंचित	0.004	हरिसिंह पुत्र देवीसिंह जाती सोंधिया (१४८/३ मिन - 8)
11	148/3/min-9	निजी	सिंचित	0.004	पर्वत सिंह पुत्र करणसिंह जाती सोंधिया (१४८/३/मिन - 9)
12	148/4/min-12	निजी	सिंचित	0.015	जीतेन्द्र पुत्र शंकरलाल जाती जादो (१४८/४/मिन - 12)
13	148/4/min-13	निजी	डाइवर्टेड	0.007	भगवती बाई पत्नी जानकीलाल जाती काछी (१४८/४/मिन - 13)
14	23	निजी	सिंचित	0.001	धनसिंह मानसिंह पुत्रगण अमरसिंह जाती काछी (23)
			कुल	0.151	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/01/2017-18/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th November, 2020

S.O. 4102(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number S. O. 4206 dated 21.11.2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Four - Laning, etc.) Maintenance, management and operation of NH752-B on the stretch of land from Km. 38+700 to 42+050 K.m. in Biaora to Maksudangarh-Road (Maksudangarh-Bypass) in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hitawada” 26 December 2019 Thursday And “FREE PRESS” 26 December 2019 Thursday under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received From Any person By The Competent Authority;

Or

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances,

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 38+700 to 42+050 km. Biaora to Maksudangarh-Road (Maksudangarh-Bypass) of the National Highway No. NH-752-B in the district of Guna in the state of Madhya Pradesh.

State: MADHYA PRADESH			District: GUNA		
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Maksudangarh				
	Viilage: Maksudangarh				
1	148/3/min-11	Private	daiverted	0.006	Ramchandra putra Gangaram Ratansingh Putra daulat singh Jati Sondhiya 148/3/min-11
2	148/3/min-18	Private	daiverted	0.011	Geetabai Patni Kanheyalal Jati Sahu 148/3/min-18
3	148/3/min-2	Private	daiverted	0.005	Nannushah Putra Daulatshah Jati Musalman 148/3/min-2
4	148/3/min-22	Private	irrigated	0.007	Prabhadevi Patni Tikaram Jati Sahu 148/3/min-22
5	148/3/min-23	Private	daiverted	0.005	Hariom putra Tulsiram Jati sahu 148/3/min - 23
6	148/3/min-24	Private	daiverted	0.002	Chandsingh Putra Chandan singh Jati Yadav 148/3/min -24
7	148/3/min-25	Private	daiverted	0.02	Ramchandra putra Gangaram Ratansingh Putra daulat singh Jati Sondhiya 148/3/min-25
8	148/3/min-26	Private	irrigated	0.055	Ramchandra putra Gangaram Ratansingh Putra daulat singh Jati Sondhiya

					148/3/min-26
9	148/3/min-6	Private	daiverted	0.009	ratansingh putra Daulat singh Ramchandra Putra Gangaram Jati Sondhiya 148/3/min-6
10	148/3/min-8	Private	irrigated	0.004	Harisingh putra devisingh Jati Sondhiya 148/3 min-8
11	148/3/min-9	Private	irrigated	0.004	Parvat singh Putra karansingh Jati sondhiya 148/3/min-9
12	148/4/min-12	Private	irrigated	0.015	Jitendra Putra Shankarlal Jati Jado 148/4/min - 12
13	148/4/min-13	Private	daiverted	0.007	Bhagwati Bai Patni Jankilal jati Kachhi 148/4/min - 13
14	23	Private	irrigated	0.001	Dhansingh Mansingh Putragan Amarsingh Jati Kachhi 23
			TOTAL	0.151	

[F.No. CE-RO BPL/30010/01/2017-18/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.